फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री चमना　　बनाम　　विपक्षी : श्री डालू

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम　　पत्रावली संख्या : 144/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 19.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 3, 5 से 9 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 3, 5 से 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के परिशिष्ट (क) व परिशिष्ट (ख) में प्रार्थी संख्या 1 खातेदार हैं व परिशिष्ट (ग) व परिशिष्ट (घ) में प्रार्थी संख्या 2 खातेदार हैं। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करना चाहते हैं जिससे प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। प्रार्थीगण द्वारा कथन कहा कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार हैं जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.की जमाबंदी संवत् 2051–54 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 42 की आराजी नम्बर 541, 545, 546, 548/2 किता 4 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 52 की आराजी नम्बर 542 रकबा 09 बिस्वा भूमि, परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 51 की आराजी नम्बर 529, 530, 531/1, 531/2, 533, 534 किता 6 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि व परिशिष्ट (घ) की खाता संख्या नया 43 की आराजी नम्बर 543 रकबा 05 बिस्वा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:51:32 IST
Reason: SelfAttested